रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / अका. / 2021 / 5820 जबलपुर, दिनांक : 16/3/2021

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त,
शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों के,
प्राचार्यगण

विषय – सत्र 2021–2022 की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क / निरंतरता शुल्क बावत् ।

महोदय / महोदया,

इस कार्यालय के पत्र क्रमॉक / अकादमिक / 2021 / 5543 दिनॉक 15 / 01 / 2021,एवं क्रमॉक / अकादमिक / 2021 / 5734 दिनॉक 02 / 03 / 2021 के तहत् सूचित किया गया था, कि आप परिनियम 27 की धारा (3) (ii) के अंतर्गत अपने महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों / विषयों की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क / निरतंरता शुल्क दिनॉक 15 / 01 / 2021 से दिनॉक 15 / 03 / 2021 तक अनिवार्य रूप से एम0पी0 आनलाईन के माध्यम से जमा करना था । महाविद्यालयों के विशेष अनुरोध के आधार पर अब उक्त तिथि 15 / 03 / 2021 से बढ़ाकर दिनॉक 31 / 03 / 2021 तक कर दी गई है । अतएव आप दिनॉक 31 / 03 / 2021 तक अनिवार्य रूप से शुल्क जमा करें । यदि आपके द्वारा दिनॉक 31 / 03 / 2021 तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपको कुल राशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देय होगा । जमा की गई राशि की दो हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें । जिससे सम्बद्धता / निरतंरता संबंधी कार्यवाही सम्पन्न कराई जा सके ।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

प्रभारी कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।

पृ0 क्रमांक / अका. / 2021 / 5820 "अ" जबलपुर, दिनांक : 16/3/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. नोडल अधिकारी ऑन लाईन (नोडल सेन्टर) से इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अवधि अर्थात् 16 / 03 / 2021 से दिनॉक 31 / 03 / 2021 तक पोर्टल खोलने की व्यवस्था करें ।
4. कुलपति जी / कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।